दस रुपये TEN RUP दस रुपये पाँच रुपये

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

भोपाल

निगरानी- 6119/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण निगरानी क्र. पी.बी.आर............./15

(120)

हरिप्रसाद राठौर आ. स्व. श्री सुन्दरलाल

आयु लगभग 85 वर्ष,

निवासी–ग्राम भौंरी, तहसील हुजूर

जिला भोपाल (म.प्र)

.... आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती गीता राजानी

पत्नि श्री नरेश राजानी, आयु वयस्क

निवासी–27, रीवेरा टाउन, फेस टी.टी.नगर

तहसील हुजूर जिला भोपाल

..........रेस्पॉडेन्ट/अनावेदक

(252)

अभिभावक श्री............ द्वारा आज दिनांक ..../9/18 को पेश।

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू रा.संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल के अधीनस्थ राजजस्व तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत–4, तहसील हुजूर जिला भोपाल के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 48/अ–12/2017–18 मे आदेश दिनांक 02/01/2018 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नही होन से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की रसीद के आधार पर माननीय महोदया के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है:–

प्रकरण के तथ्यः–

अ. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसील हुजूर जिला

निरंतर......2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6119/2018/भोपाल/भूरा **जिला भोपाल**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री विदयराज मालवीय द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-1-18 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक पक्ष द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब कारण आदेश की जानकारी नहीं होना एवं आवेदक के बीमार होने का कारण बताया गया है परन्तु तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिये आवेदक द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है - न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढा सकता ।" अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	